

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 865 / 13

संस्थापन दिनांक : 29.10.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—जनकसिंह पुत्र श्रीराम जमादार, उम्र 40 वर्ष निवासी  
ग्राम रतवा थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 23.09.13 को 16:45 बजे या उसके लगभग रतवा तिराहा पुलिस थाना मौ अंतर्गत थाना क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे का छुरा जिसकी लंबाई करीब 14 इंच चौड़ाई करीब एक से सवा इंच, प्रतिबंधित आकार का बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में रखा।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.13 को प्र०आरक्षक बालकृष्ण कटारे अ०सा०३ को कस्बा गश्त हेतु जय मुखबिर सूचना मिली थी एक व्यक्ति छुरी खुरसे कोई गंभीर वारदात करने की नीयत से रतवा तिराहा पर खड़ा है उक्त सूचना पर से प्र०आरक्षक बालकृष्ण कटारे अ०सा०३ मय फोर्स के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा तो वहां पर आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जनकसिंह पुत्र श्रीराम जमादार उम्र 40 वर्ष निवासी रतवा का होना बताया तथा जामा तलाशी लेने पर आरोपी बायीं तरफ कमर में छुरी खुरसे मिला जिसे रखने का वैध लाइसेन्स चाहने पर आरोपी ने न होना बताया तब मौके पर साक्षी मोहनसिंह अ०सा०१ व श्रीकृष्ण अ०सा०२ के समक्ष छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी-1 बनाया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी-2 बनाया तथा आरोपी के

विरुद्ध प्र0पी-4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी रिपोर्ट पर से थाना मौ में अप0क0 208/13 पर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 23.09.13 को 16:45 बजे या उसके लगभग रतवा तिराहा पुलिस थाना मौ अंतर्गत थाना क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे का छुरा जिसकी लंबाई करीब 14 इंच चौड़ाई करीब एक से सवा इंच, प्रतिबंधित आकार का बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में रखा ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी प्र0आरक्षक बालकृष्ण कटारे अ0सा03 का कहना है कि वह दिनांक 23.09.13 को थाना मौ में प्र0आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दौराने इलाका भ्रमण मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति रतवा तिराहा पर गंभीर वारदात करने की नीयत से लोहे की छुरी लेकर खड़ा हैं सूचना की तस्दीक के लिए मुखबिर के बताये स्थान पर मय फोर्स पहुंचा जहां पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागा जिसे रोककर नाम पता पूछा तो अपना नाम जनकसिंह होना बताया आरोपी की तलाशी लेने पर एक लोहे की छुरी कमर में खुरसे मिला जिसके संबंध में लाइसेन्स चाहा तो न होना बताया। अवैध चाकू होने से साक्षी मोहनसिंह अ0सा01 और श्रीकृष्ण प्र0आरक्षक अ0सा02 के समक्ष चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 मौके पर बनाया जिसके सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 बनाया जिसके सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। थाना वापिसी पर आरोपी के विरुद्ध अप0क0 208/13 की एफ.आई.आर. मेरे द्वारा दर्ज की गयी जो प्र0पी-4 जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। दौराने विवेचना साक्षी मोहनसिंह अ0सा01 और प्र0आरक्षक श्रीकृष्ण अ0सा02 के कथन उनके बताये अनुसार लेख किए थे।
6. साक्षी श्रीकृष्ण अ0सा02 का कहना है कि वह दिनांक 23.09.13 को वह थाना मौ में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को वह बालकृष्ण अ0सा03 के साथ कस्बा गश्त के लिए रवाना हुआ था। जब वह वापिस रतवा तिराहे के पास आये तब मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लोहे की छुरी कमर में खुरसे खड़ा है। सूचना की तस्दीक के लिए वह और बालकृष्ण अ0सा03 रतवा तिराहे पर पहुंचे तब एक व्यक्ति उन्हें देखकर भागा जिसे पकड़कर उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम जनकसिंह बताया उसकी तलाशी लेने पर कमर में बांयी तरफ लोहे का छुरा मिला जिसका लाइसेन्स पूछने पर न होना बताया। मौके पर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 की कार्यवाही की जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
7. साक्षी मोहनसिंह अ0सा01 का कहना है कि दिनांक 24.12.14 से एक वर्ष पूर्व रतवा स्योढ़ा रोड के तिराहे पर उसकी चाय की दुकान पर बालकृष्ण

अ0सा03 ने पंचनामे की कार्यवाही 3-4 बजे के लगभग की थी जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी जनकसिंह से पुलिस ने लोहे की छुरी जप्त की थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः स्वतंत्र साक्षी मोहन अ0सा01 ने आरोपी से छुरी जप्त होने के तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है।

8. बालकृष्ण अ0सा03 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर छुरी को सील नहीं किया और इसी कारण एफआईआर प्र0पी-4 में भी सील किए जाने का उल्लेख नहीं है और स्वतः कथन किया है कि उनके पास सील किए जाने का भी सामान नहीं था और पैरा 3 में स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-1 पर भी नमूना सील नहीं लगायी है। श्रीकृष्ण अ0सा02 ने भी पैरा 2 में स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर छुरी को सफेद कपड़े में चपड़ी की सील लगाकर सील नहीं किया और जप्ती पत्रक प्र0पी-1 में भी नमूना सील नहीं लगायी। अतः दोनों ही पुलिस साक्षीगण ने घटनास्थल पर आयुध सीलबंद किए जाने से स्पष्ट इंकार किया है। छुरी की कोई विशिष्ट पहचान नहीं है। अतः अन्वेषण में आयुध सीलबंद न किया जाना महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है। अतः सीलबंद न किए जाने से यह समाधान नहीं हो सकता है कि विवेचना व विचारण के चरण पर आरोपी से प्राप्त छुरी ही प्रस्तुत की गयी है।
9. बालकृष्ण अ0सा03 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा प्रकरण में रवानगी रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटनास्थल पर उक्त साक्षीगण की उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए रोजनामचा सान्हा का उक्त दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अस्तित्व में होने के उपरांत भी पेश न किया जाना घटनास्थल पर उक्त साक्षियों की उपस्थिति संदेहास्पद बनाता है।
10. बालकृष्ण अ0सा03 व श्रीकृष्ण अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपी से लोहे की छुरी जप्त की गयी थी उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा यह नहीं बताया गया है कि छुरी धारदार थी अथवा नहीं तथा उसका आकार कितना था। धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन जारी उद्घोषणा के अधीन छुरी प्रतिबंधित आकार की श्रेणी में तभी आती है जकि वह धारदार हो। अतः छुरी प्रतिबंधित आकार की होने के संबंध में भी अभियोजन की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।
11. अतः आरोपी के अधिपत्य से निषेधित आयुध जप्त हुआ यह स्पष्ट नहीं होता है। प्राप्त आयुध को अकारण सीलबंद भी नहीं किया गया है। घटना का समर्थन स्वतंत्र साक्षी ने नहीं किया है। घटनास्थल पर पुलिस साक्षीगण की उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए रोजनामचा सान्हा भी अभिलेख पर नहीं है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाते हैं जिससे अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 23.09.13 को 16:45 बजे या उसके लगभग रतवा तिराहा पुलिस थाना मौ अंतर्गत थाना क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे का छुरा जिसकी लंबाई करीब 14 इंच चौड़ाई

करीब एक से सवा इंच, प्रतिबंधित आकार का बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में रखा।

12. परिणामतः आरोपी को धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
13. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
14. प्रकरण में जप्त छुरी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे व अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0